सतत ग्रामीण विकास

सबका साथ, सबका विकास

विविध आजीविकाएं
बेहतर अवसंरचना
गरीबी उपशमन
जीवन दशा में सुधार

प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

सतत ग्रामीण विकास

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

विविध आजीविकाएं
बेहतर अवसंरचना
गरीबी उपशमन
जीवन दशा में सुधार

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

नरेन्द्र सिंह तोमर

NARENDRA SINGH TOMAR

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ AND DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है । सुखी एवं समृद्ध गांव राष्ट्र के विकास का एक प्रमुख घटक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने हेतु कृत संकल्प है। मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों में अपने कार्यक्रमों की कार्यान्वयन पद्धति में महत्वपपूर्ण परिवर्तन किया है। इनके कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान का व्यापक उपयोग किया जा रहा है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एक समयबद्ध तरीके से ग्रामीण अवसंरचना में बदलाव, सभी के लिए आवास, ग्रामीणों की आय को 2022 तक दुगुनी करने, देश के सभी गांवों को संपर्क सड़क मार्ग से जोड़ने, जल संरक्षण, ग्रामीणों और गरीबों की सामाजिक सुरक्षा, उनको आजीविका के सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, महिलाओं की आजीविका स्तर में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की तीन वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाशित पुस्तिका को प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण परिदृश्य में आशातीत सकारात्मक परिवर्तन लाने और ग्रामीणों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार लाने में सफल होंगे ।

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

राज्य मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्रायल
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

राम कृपाल यादव
Ram Kripal Yadav

MINISTER OF STATE
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मंत्रालय की उपलब्धियों से संबंधित एक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है। विगत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार ने देश के माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में गांव व गरीब किसान को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक नया आयाम दिया है।

सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने नई पहलें की हैं। लाभार्थी के खाते में सहायता राशि का सीधा हस्तान्तरण एसईसीसी के आधार पर लाभार्थियों का चयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी और स्पेस टैक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग आदि नयी पहलें हैं जो माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा के अनुरूप है। यह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

आशा है कि हम इस पुस्तिका के जरिए देशवासियों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के बारे में संदेश पहुंचाने में सफल होंगे।

(राम कृपाल यादव)

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

हमसे संपर्क करें और अपना बहुमूल्य सुझाव दें

www.rural.nic.in
www.nrega.nic.in
www.pmgsy.nic.in
www.pmayg.nic.in
www.nsap.nic.in
www.aajeevika.nic.in
www.ddugky.gov.in
www.saanjhi.gov.in

secyrd@nic.in
www.rural.nic.in
/IndiaRuralDev

@nstomar
@narendrasinghtomarbjp

@ramkripalmp
@ramkripal.yadav1

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

विषय सूची

1	ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख उपलधिब्याँ एवं पहल	9
2	प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण	12
3	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	20
4	मनरेगा	26
5	दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)	30
6	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)	38
7	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	48
8	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	54
9	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन	58

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं पहल 2014-17

- ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित खर्च को वर्ष 2013–14 में 58630 करोड़ रू. से बढ़ाकर वर्ष 2016–17 में 95099 करोड़ रू. कर दिया गया है जो कि 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार ने वर्ष 2017–18 के दौरान 105448 करोड़ रू. खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

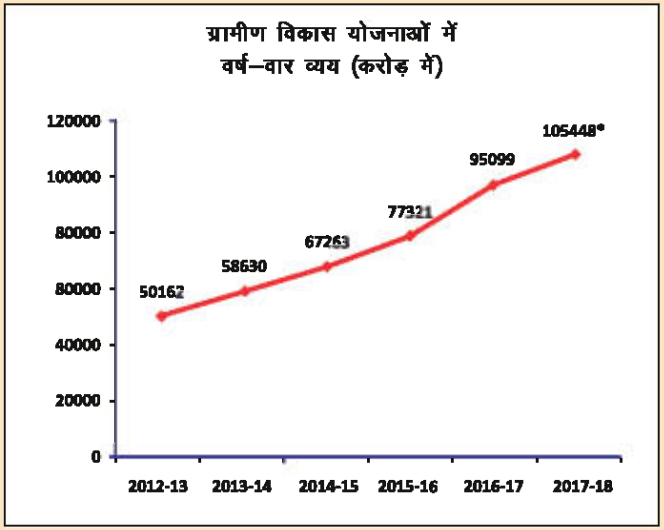

*वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान

- ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित मजदूरों को रोजगार दिलाने में विभाग ने अपनी योजनाओं के माध्यम से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2014–17 के दौरान लगभग 813.76 करोड़ मानव–दिवस रोजगार का सृजन हुआ।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र सरकार ने 48220 करोड़ का व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजना में किया है जो कि आजतक का सर्वाधिक है इस दौरान 235 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया जिसके फलस्वरूप 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई एवं स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। कुल व्यय की 66 प्रतिशत से अधिक की राशि कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलापों पर खर्च की गई है जो कि इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक सबसे अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रोत्साहन पाने वाले 2.9 लाख स्वयं सहायता समूहों की तुलना में डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत 2015–16 और 2016–17 के दौरान क्रमशः लगभग 3.7 लाख और 5.1 लाख एसएचजी को प्रोत्साहित किया गया है।
- वर्ष 2016–17 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के अंतर्गत कुल 1.62 लाख अभ्यर्थियों को नियमित रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया गया।
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) द्वारा प्रोजेक्ट लाइफ (लाइवलीहुड अंडर फुल इंप्लोयमेंट) मनरेगा के अंतर्गत 37007 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है और आरएसईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त 19327 अभ्यर्थियों को पीएम मुद्रा कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के 73 किमी. प्रतिदिन सड़क निर्माण की तुलना में सड़कों के निर्माण की गति वर्ष 2016–17 में प्रति दिन 130 किमी. के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान 11641 बसावटों को जोड़ते हुए 47447 किमी. लंबाई की पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया था जो कि एक रिकॉर्ड है। प्रतिदिन औसतन 32 बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया जो कि पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है।
- पिछले 3 वर्षों (2014–15 से 2016–17) के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 120233 किमी. लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ "सभी को मकान उपलब्ध कराने" की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ग्रामीण आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।
- ग्रामीण गरीबों को आवासीय सुविधाओं के साथ–साथ बुनियादी सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इसका पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन करने में 'आवास एप' का इस्तेमाल, एसईसीसी आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए लाभार्थियों का निर्धारण तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल और आईटी/डीबीटी मोड में शत–प्रतिशत भुगतान जैसी विभिन्न अभिनव पहलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पीएमएवाई-जी

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण

वर्ष 2022 तक "सभी को मकान उपलब्ध कराने" की सरकार की प्राथमिकता के संदर्भ में ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2016–17 से क्रियान्वित किया जा रहा है।

पीएमएवाई–जी की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक 3 वर्षों की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी।
- इकाई सहायता बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रूपये से 1,20,000 रूपये और पर्वतीय राज्यों /दुर्गम क्षेत्रों/समेकित कार्य योजना जिलों में 75,000 रूपये से 1,30,000 रूपये की गई।
- लाभार्थियों के निर्धारण के लिए एसईसीसी–2011 के आंकड़ों का प्रयोग
- मकानों के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार और निर्माण कार्य के निधरित समय में समापन पर जोर
- निर्माण के विभिन्न चरणों में मकान के जियो रेफरेंस, टाइम और डेट स्टैम्प वाले वर्त्तमान एवं नए घर के फोटोग्राफ दर्ज करने के लिए आवास ऐप का प्रयोग
- मकान के निर्माण के लिए लाभार्थी को 70,000 रूपये तक का वैकल्पिक ऋण प्राप्त करने में सहायता
- यूएनडीपी और आईआईटी दिल्ली के परामर्श से चुनिंदा राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में मकान डिजाइन टाइपोलोजियो का विकास
- ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के अन्तर्गत पी एम ए वाई जी के अन्तर्गत नहीं आच्छादित परिवारों को 3% की ब्याज सब्सिडी

- लाभार्थी को इकाई सहायता के अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए सहायता के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मनरेगा या अन्य किसी समर्पित वित्तपोषण स्रोत के अंतर्गत सहायता के रूप में 12,000 रूपये और तालमेल के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 90 श्रम दिवसों और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा समेकित कार्य योजना जिलों में 95 श्रम दिवसों की सहायता प्राप्त होंगी।

- मकान का न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है।

- ग्रामीण आवास में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान ।

- निर्माण की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित अर्हता पैक के अनुसार ग्रामीण राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण, निर्धारण और प्रमाणन।

- कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों तथा लाभार्थियों को मकानों का निर्माण कार्य शुरू करने के वास्ते तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा इस परियोजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी की स्थापना।

वर्ष 2016–17 के दौरान उपलब्धियां

- ग्राम सभा के विधिवत सत्यापन और अपीलीय प्राधिकारी की समीक्षा के बाद पीएमएवाई–जी के अंतर्गत सहायता पाने के लिए 2.41 करोड़ परिवारों का निर्धारण एसईसीसी–2011 के आधार पर किया गया है।

- वर्ष 2016–17 में 43,58,645 मकानों के निर्माण के लक्ष्य (विशेष परियोजना के आवंटन को छोड़कर) की सूचना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गई है। इनमें से 26 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने 41,98,548 मकानों के जिला और ब्लॉक–वार लक्ष्य तय कर दिए हैं।

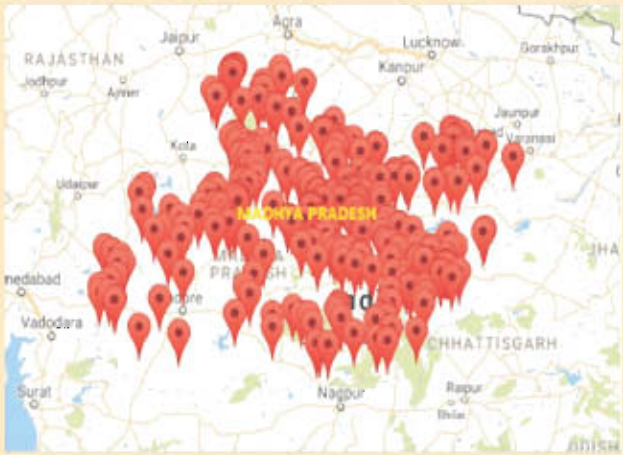

मौजूदा आवास की जियोटैगिंग

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2016–17 में ग्रामीण आवास योजना के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 16,074 करोड़ रूपये रिलीज किया है।

- ग्रामीण आवास योजना/इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 32,14,506 मकानों का निर्माण किया गया है।

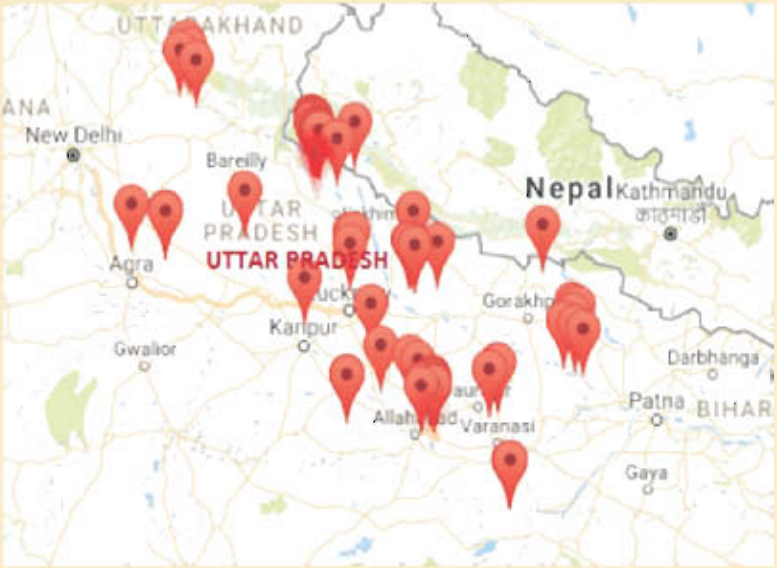

निर्मित मकानों की जियोटैगिंग

- सीधे लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में सहायता के अंतरण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य नोडल बैंक खाते खोल दिए हैं। इस योजना से संबंधित सभी भुगतान राज्य नोडल बैंक खाते से निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) द्वारा इलेक्ट्रोनिक तरीके से किए जाएंगे।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 32,30,293 मकानों के निर्माण लक्ष्य (विशेष परियोजना के आवंटन को छोड़कर) की जानकारी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2016–17 में ही दे दी गई है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के लिए 4358645 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कुल 34170.00 करोड़ रू. (केंद्रीय अंश) का वित्तीय प्रभाव शामिल है। राज्य/सं.रा. क्षेत्र वार वास्तविक और वित्तीय आवंटन के बारे में राज्यों को सूचित कर दिया गया है।

- वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 32,14,564 मकानों का निर्माण किया गया है और 16,074 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई है।

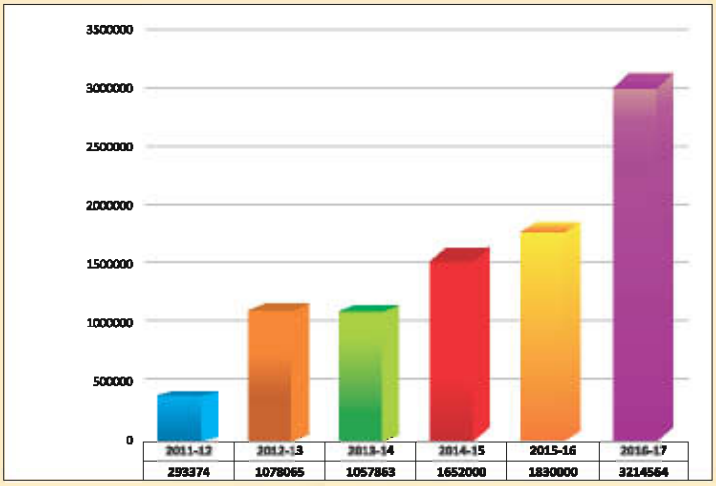

वर्ष वार निर्मित मकान

हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी तैयार करना

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टिकाऊ, स्थानीय भू–जलवायुवीय, सांस्कृतिक स्थितियों के अनुकूल हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी का निर्धारण करने, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लागत में कमी लाने तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध एवं आपदारोधी सामग्रियों का इस्तेमाल करने के लिए 18 राज्यों में राज्य विशिष्ट अध्ययन कराए थे। अध्ययन के उपरान्त हाऊस डिजाइन टाइपोलॉजी तैयार कर राज्यो मे साझा किया गया है। ताकि लाभार्थी टिकाऊ तथा किफायती मकान बना सकें।

राज्यों के लिए तैयार किए गए हाऊस डिजाइन टाइपोलॉजी पर आधारित मॉडल

- हाउस डिजाइन टाइपोलॉजीस़ के ऊपर एक साथ संग्रह 'पहल' का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 नवम्बर 2016 को किया गया।

राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

- मकानों की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसीआई) के साथ मिलकर 'ग्रामीण राजमिस्त्रियों' के लिए क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी) तैयार किया है तथा राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) ने इसे अनुमोदित कर दिया है।

वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान उपलब्धियां

- योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के लिए आवटित 11000 करोड़ रू. (संशोधित अनुमान) का पूर्ण उपयोग किया गया।
- वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 16.52 लाख मकान बनाए गए हैं।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय ने वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के लिए 10025 करोड़ रू. का आवंटन किया है।
- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 18.30 लाख मकान बनाए गए हैं।

राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अंतर्गत बनाए जा रहे मकान

हाउस डिजाईन टाइपोलोजी आधारित मॉडल मकान

"हमारे देश में ग्रामीण सड़क... हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले। काम बहुत बड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष ध्यान देकर इसको शुरू किया था। और बाद में भी सरकार ने इसको continue किया, आगे बढ़ाया। हमने उसमें गति देने का प्रयास किया है। पहले एक दिन में 70–75 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था, आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गये है। ये गति आने वाले दिनों में सामान्य मानव की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी।"

(माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के, स्वतंत्रता दिवस 2016 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से, अभिभाषण के अंश)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का प्रमुख उद्देश्य बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराना है।

- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक 178184 पात्र बसावटों में से 159818 बसावटों (89.69 प्रतिशत) को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 31.3.2017 तक 504726 किमी. लंबाई की सड़कों का निर्माण करते हुए 124709 बसावटों (पात्र बसावटों का 70 प्रतिशत) को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

- वर्ष 2012–13 के प्रतिदिन 73 कि.मी. सड़क निर्माण की तुलना में वर्ष 2016–17 में 130 कि.मी. प्रतिदिन सड़क निर्माण किया गया जो कि 78 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

- वर्ष 2016–17 के दौरान (औसतन 32 बसावटों को प्रति दिन सड़क संपर्कता उपलब्ध कराते हुए) 47447 कि.मी. लंबी पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण कर 11641 बसावटों को सड़क संपर्कता उपलब्ध कराई गई। यह पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक है।

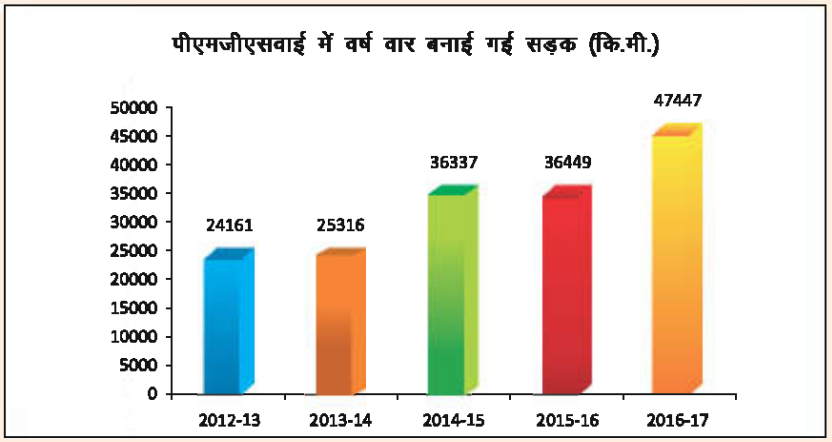

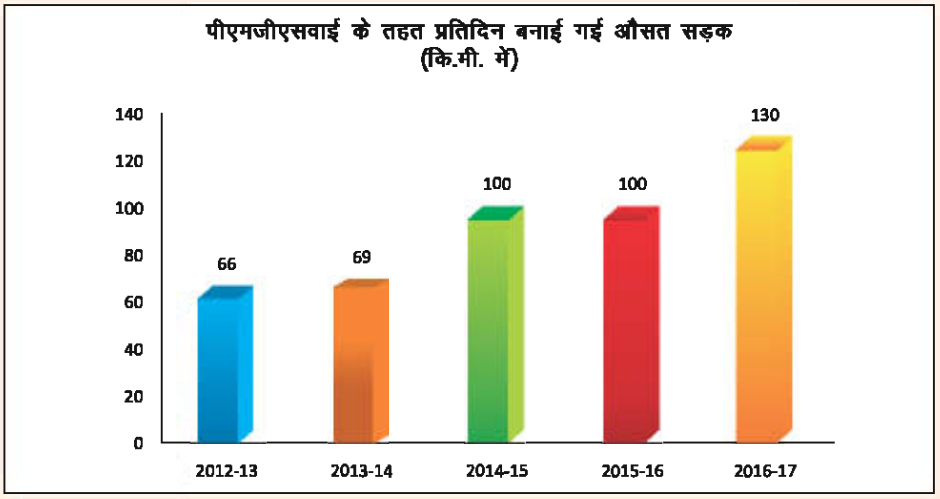

- वर्ष 2016–17 के दौरान, पीएमजीएसवाई के तहत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 सर्वाधिक एलडब्ल्यूई से प्रभावित जिलों और इनसे सटे जिलों में 11,725 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से बारहमासी सड़कें बनाने के लिए "एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता परियोजना" नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। यह कार्य मार्च, 2020 तक पूरा किया जाएगा।

- ग्रामीण सड़कों की "कार्बन फुटप्रिंट" घटाने, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण कम करने, कामकाज की अवधि बढ़ाने और किफायत को ध्यान को रखते हुए पीएमजीएसवाई में ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए "हरित प्रौद्योगिकियों" के उपयोग और अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जीओ टैक्सटाइल, फ्लाई–ऐश, आयरन और कॉपर स्लैग आदि जैसी गैर परंपरागत सामग्रियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2014–16 के 2634.02 कि.मी. और वर्ष 2012–2014 के 806.93 कि.मी. की तुलना में सिर्फ 2016–17 में 4113.13 कि.मी. सड़क का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया गया जो उपलब्धि से थोड़ा अधिक है।

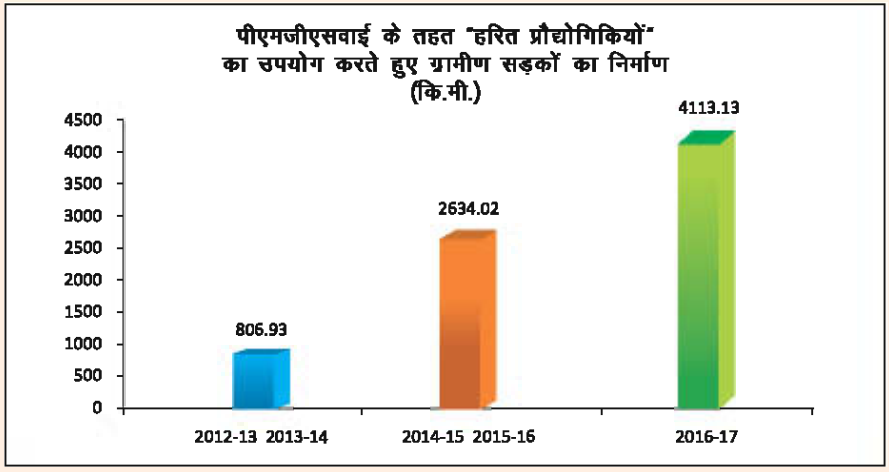

पीएमजीएसवाई के तहत नई शासकीय पहलें:

- शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए कमियां दूर करने और नागरिकों की शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए पीएमजीएसवाई में सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

- पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता बढ़ाने और इसके कार्य में तेजी लाने के संबंध में शिकायतें दर्ज करने हेतु नागरिकों के लिए "मेरी सड़क" नामक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है। मोबाइल एप्लीकेशन को 7,23,560 बार डाउनलोड किया गया। 55,773 शिकायतें प्राप्त हुईं और केवल 64 शिकायतें अंतिम समाधान के लिए लंबित हैं।

- पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत बनाई गई सड़को की लंबाई और बसावटों की सड़क संपर्कता के सत्यापन के लिए सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है।

- सी–डेक, पुणे के सहयोग से देशभर की सभी पीएमजीएसवाई सड़कों की जीआईएस आधारित मैपिंग शुरू की गई है। इसका पहला चरण जून, 2017 में पूरा हो जाएगा।

- सर्वोत्तम कार्य करने वाले एक तिहाई राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मेघालय और ओडिशा (वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि से संबंधित) को 1,076.49 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है जिसका उपयोग पीएमजीएसवाई के तहत पहले से बनाई सड़कों के आवधिक रख–रखाव पर किया जाएगा ।

नई दिल्ली में दिनांक 15.09.2016 को पीएमजीएसवाई हिमायती राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियाँ

परिवर्तनकारी मनरेगा

मनरेगा, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

- **विकास पर सबसे अधिक व्ययः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 48220 करोड़ रू. का बजट प्रावधान किया गया था जिसे मंत्रालय ने खर्च कर लिया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 57512 करोड़ रू. व्यय किया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है।

- **रोजगार के श्रम दिवसः** वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 5.04 करोड़ परिवारों को 138.64 लाख कार्यों में रोजगार प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया में 235 करोड़ से अधिक श्रम दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है।

- **सबसे अधिक कार्यों का समापनः** पहले प्रति वर्ष औसतन 25–35 लाख कार्य पूरे किए जाते थे। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 52.4 लाख कार्य पूरे किए गए हैं।

- **सिंचाई सुविधा का सृजनः** लगभग 68% व्यय कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलापों पर किए गए हैं जो कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर अब तक सबसे अधिक है। वर्ष 2015–17 में मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है।

- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर विशेष बलः** वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल व्यय की लगभग 62% राशि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यों पर खर्च की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 में यह खर्च मात्र 49 प्रतिशत था। 30.43 लाख ऐसे कार्य पूरे किए गए हैं जिनमें 5.79 लाख खेत–तालाब शामिल हैं।

- **मिशन जल संरक्षण (एमडब्ल्यूसी)** : महात्मा गांधी नरेगा, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) कार्यक्रमों के साझे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनके बीच तालमेल बढ़ाने का विशेष प्रयास किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

- मंत्रालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि निर्धारित किए गए 2264 जलाभाव वाले ब्लॉकों में कुल खर्च की कम से कम 65 प्रतिशत राशि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों पर खर्च की जाए।
- **महिलाओं की भागीदारी:** मनरेगा के अंतर्गत कुल रोजगार में से 56 प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं जो कि कार्यक्रम के शुरू होने से अब तक महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी को दर्शाता है।
- डीडीयू–जीकेवाई, आरएसईटीआई और ग्रामीण राजमिस्त्री कार्यक्रमों के अंतर्गत मनरेगा के अकुशल कामगारों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

नई शासकीय पहलें:

- बेहतर आयोजना, प्रभावी निगरानी, स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में जियो–मनरेगा नामक एक विशिष्ट पहल शुरू की गई है जिसमें मनरेगा के अंतर्गत सृजित की गई सभी परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक 1.23 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो–टैग करके पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया हैं।
- निधि प्रवाह प्रणाली को और अधिक सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने 21 राज्यों और एक सं.रा.क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई–एफएमएस) का क्रियान्वयन शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 96 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान कामगारों के खातों में किया जाता है।
- अब तक नरेगासॉफ्ट (एमआईएस) में 8.73 करोड़ कामगारों की आधार संख्या डाली गई है और 4.73 करोड़ कामगारों की सहमति लेने के पश्चात उन्हें आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जॉब कार्ड के सत्यापन/अद्यतनीकरण का कार्य प्राथमिकता आधार पर किया गया है। जांच–पड़ताल के बाद 1 करोड़ से अधिक जॉब कार्डोंको रद्द कर दिया गया है।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 9 अगस्त, 2016 को महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के जीआईएस क्रियान्वयन के विषय पर राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यशाला

डीएवाई-एनआरएलएम

आजीविका

AAJEEVIKA

दीनदयाल अंत्योदय योजना-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) का उद्देश्य सभी ग्रामीण गरीब परिवारों, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 9 करोड़ है, तक पहुंचना और उन्हें स्वप्रबंधित संस्थाओं में संगठित करके, उनके कौशल और क्षमताओं का विकास करके तथा उन्हें वित्तीय, आजीविका सेवाएं, हकदारियां तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों से सेवाएं प्राप्त करने योग्य बनाते हुए सभी ग्रामीण गरीबों को आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराना है। यह ग्रामीण गरीब महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उत्थान का अधिकार प्रदान करता है और बेहतर सामाजिक दर्जा दिलाता है तथा निर्णय लेने में उन्हें भूमिका प्रदान करता है।

- वर्ष 2011 में डीएवाई–एनआरएलएम के प्रारंभ होने से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 386 लाख परिवारों को शामिल करते हुए 32.53 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को बढ़ावा दिया गया है। इस अवधि के दौरान लगभग 1.81 लाख ग्राम संगठन भी बनाए गए हैं।
- मिशन ने सामुदायिक संस्थाओं को परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 2041 करोड़ रू. वित्तीय सहायता दी है।
- महिला स्व–सहायता समूहों को कर्यक्रम के शुरुआत से अब तक बैंकों से लगभग 1. 14 लाख करोड़ रू. का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2016–17 मे 37120 करोड़ रू. स्वयं सहायता समूहों के लिये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया हैं।

Aajeevika Mela - 2017

वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां

- 5 लाख नए एसएचजी के माध्यम से 60 लाख परिवारों को एसएचजी नेटवर्क में शामिल किया गया जिससे परिवारों की कुल संख्या 3.86 करोड़ तथा एसएचजी की कुल संख्या 32.53 लाख हो गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी सदस्यों के लिए घर–घर जाकर बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए लगभग 950 एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षित करके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंटों के रूप में तैनात किया गया है।
- सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात स्वच्छ भारत मिशन, पोषण मिशन इत्यादि के साथ तालमेल की गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान 9 राज्यों में ऐसी पहलें शुरू की गई हैं जिनमें 6 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- 1.5 करोड़ एसएचजी सदस्यों की आधार संख्या को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
- लगभग 48,000 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है।
- डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत लगभग 143,000 सामुदायिक संवर्गों के प्रोफाइल भी अपलोड किए गए हैं।
- मिशन ने बेहतर निर्णय और सहायता के उद्देश्य से वास्तविक समय आधार पर एसएचजी सदस्य स्तर पर होने वाले लेनदेनों पर नजर रखने के लिए ट्रांजैक्शन आधारित एमआईएस (एंड्रॉयड और विंडो दोनों पर आधारित एप्लीकेशन) भी तैयार किया है।
- मंत्रालय ने वर्ष 2016–17 के दौरान सर्वश्रेष्ठ 30 एसएचजी और 10 स्वैच्छिक संगठनों को सम्मानित किया।
- एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान प्रोत्साहित किए गए 2.9 लाख एसएचजी की तुलना में वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान क्रमशः 3.7 लाख और 5 लाख एसएचजी को बढ़ावा दिया गया।

- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 84,000 उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 208 करोड़ रू. के परिव्यय से 17 राज्यों के 47 ब्लॉकों में स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) शुरू किया गया है।

आजीविका मेला

देशभर की महिला एसएचजी सदस्यों द्वारा प्रदर्शन एवं उत्पादों की बिक्री हेतु राष्ट्र स्तरीय मंच प्रदान करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास विभाग ने 14–23 अप्रैल, 2017 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में"आजीविका मेला"आयोजित किया। प्रदर्शनी एवं उत्पादों की बिक्री के लिए 500 स्टॉल लगाए गए थे। 29 राज्यों एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र की प्रदर्शक महिलाओं ने मेले में हिस्सा लिया जिसमें हैंडलूम्स, हैंडिक्राफ्ट्स, जैविक खाद्य सामग्री, परिष्कृत खाद्य सामग्री, जनजातीय गहने, घरों की सजावट के सामान, बर्तन, साफ्ट टॉएज, पेंटिंग्स इत्यादि विभिन्न उत्पाद शामिल थे। उत्पादों का मूल्य प्रतिस्पर्धी था एवं ये उत्पाद विभिन्न श्रेणियों को कवर करते हैं। अधिकांश एसएचजी प्रदर्शकों को इस तरह के आयोजन में पहली बार हिस्सा लेने का अवसर मिला है।

- इस अवसर पर आजीविका थ्रस्ट एवं गरीबीमुक्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने के संबंध में 3500 महिलाओं के साथ विचार–विमर्श किया गया। इस विचार–विमर्श में हिस्सा लेने वाली अधिकांश महिलाओं ने अपने जीवन में गरीबी का अनुभव किया था और उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन एवं गांवों को गरीबीमुक्त बनाने के संबंध में अपने अनुभव को साझा किया।
- मेले ने महिलाओं के मध्य आपसी संबंधों को घनिष्ठ बनाने, अनुभवों को साझा करने एवं एक दूसरे से सीखने हेतु मंच के रूप में कार्य किया ।

डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत कार्यान्वयन की प्रगति (संचयी)

एसएचजी का प्रोत्साहन एवं पूंजीकरण

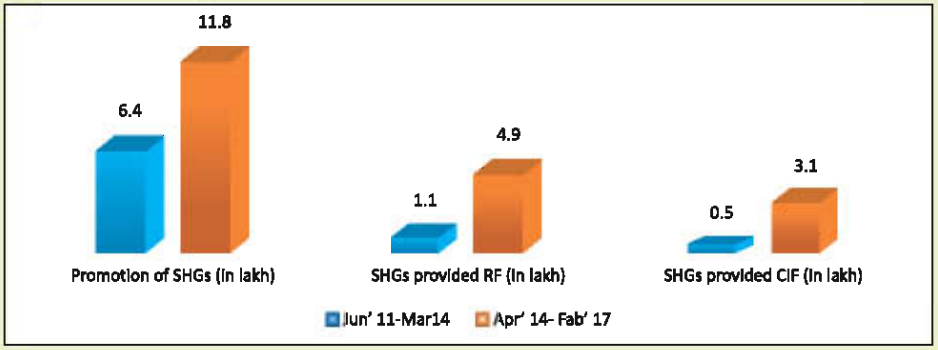

एसएचजी बैंक ऋण लिंकेज

आकृति 1– एसएचजी द्वारा प्राप्त किए गए बैंक ऋण की धन राशि (रूपए करोड़ में)

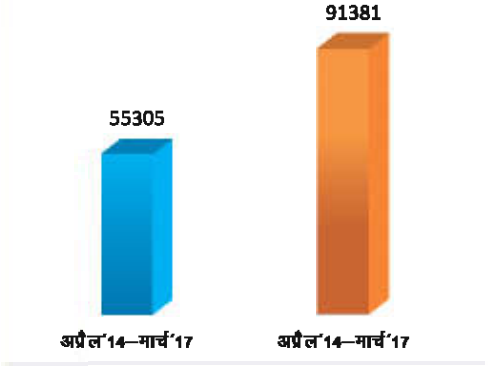

पांच दक्षिणी राज्यों के अलावा बैंक ऋण प्राप्त करने वाले एसएचजी का प्रतिशत

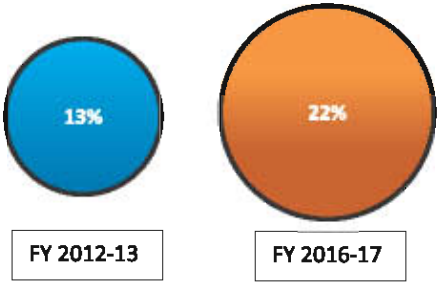

पिछले तीन वर्षों की वर्षवार प्रगति

एसएचजी को प्रोत्साहन देना और उनका पूंजीकरण (संख्या लाख में)

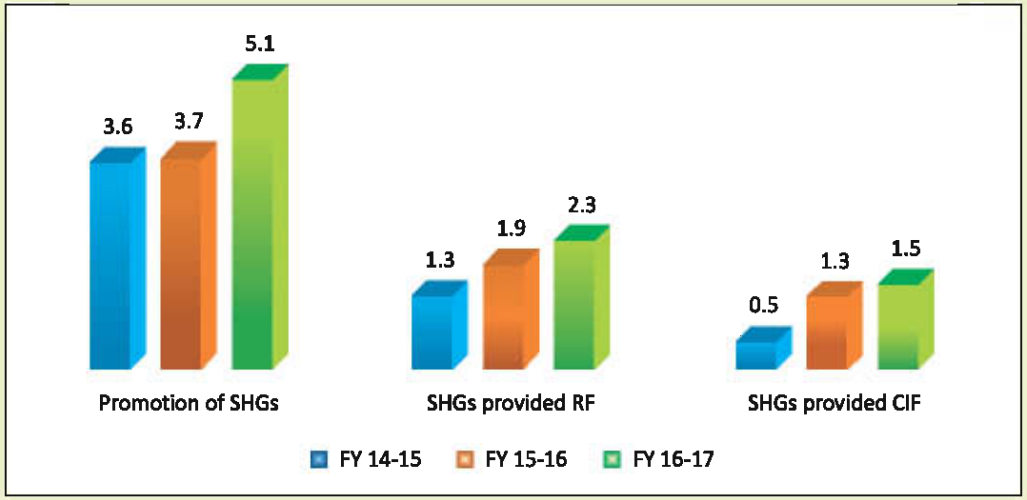

एसएचजी को संवितरित बैंक ऋण (रूपए करोड़ में)

आकृति 1– ऐसे एसएचजी की संख्या जिन्हें बैंक से जोड़ा गया है (लाख में)

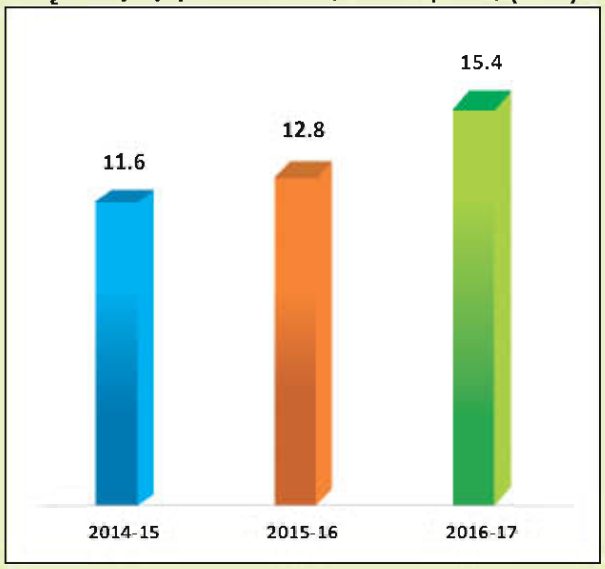

आकृति 2– प्राप्त किए गए बैंक ऋण की धन राशि (रूपए करोड़ में)

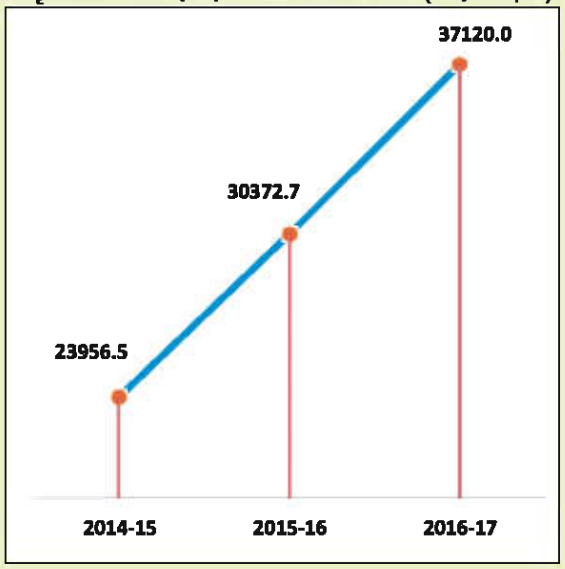

Custom Hiring Centres

डीडीयू-जीकेवाई

DDU-GKY

Deen Dayal Upadhyaya
Grameen Kaushalya Yojana

Empowering India • Powering the World

दीनदयाल उपाध्याय
ग्रामीण कौशल्य योजना

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) रोजगार से जुड़ी कौशल विकास योजना है, जिसका कार्यान्वयन पीपीपी मोड में किया जा रहा है। यह 15–35 वर्ष की आयु समूह के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को लक्षित करती है।

- डीडीयू–जीकेवाई में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक परियोजना के कुल अभ्यर्थियों में से एक तिहाई महिलाएं हों। वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण प्राप्त 1,62,586 अभ्यर्थियों में से लगभग 39 प्रतिशत महिलाएं थीं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में से 60 प्रतिशत अभ्यर्थी महिलाएं थीं अर्थात प्रशिक्षण प्राप्त 444982 अभ्यर्थियों में से 266989 अभ्यर्थी महिलाएं थीं।

- डीडीयू–जीकेवाई में 654 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनमें 329 व्यवसायों के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं ।

- वित्तीय वर्ष 2012–17 में 10.50 लाख अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य में से कुल 9.38 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 5.79 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया है।

- मंत्रालय ने डीडीयू–जीकेवाई परियोजनाओं के लिए नया सरलीकृत ऑनलाइन फ्रैश एप्लीकेशन फाइलिंग सिस्टम शुरू किया है।

- मंत्रालय ने उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 12 नए चैम्पियन नियोक्ताओं का चयन करके उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें चैम्पियन नियोक्ताओं में कैफे कॉफी डे, अपोलो मेडिस्किल्स, टीम लीज इत्यादि शामिल हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास

- ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से प्रशिक्षु कौशल विकास अर्जित कर बैंक ऋण प्राप्त करके स्वयं अपना लघु उद्यम शुरू कर सकता है। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतनभोगी रोजगार भी प्राप्त कर सकते है।

- देश के 552 जिलों में कुल 585 आरएसईटीआई स्थापित किए गए हैं।

- आरएसईटीआई विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिनमें सामान्य उद्द्यम विकास योजना (ईडीपी), प्रक्रिया ईडीपी, उत्पाद ईडीपी और कृषि ईडीपी शामिल हैं।

- वर्ष 2016–17 के दौरान आरएसईटीआई ने प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के अंतर्गत 37,007 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

- वर्ष 2016–17 के दौरान आरएसईटीआई के अंतर्गत 4,44,982 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आरएसईटीआई से प्रशिक्षण पाने वाले 19327 अभ्यर्थियों को बैंकों से ऋण दिलाए गए।

- देश में उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों के लिए आरएसईटीआई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (एनएसीईआर) को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा नए राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार–2016 के लिए चुना गया।

- शुरूआत से लेकर अब तक 585 आरएसईटीआई में 23.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

सामाजिक समावेशन एवं व्यापार विस्तार

सामाजिक समावेशन, वित्तीय वर्ष 2016–17

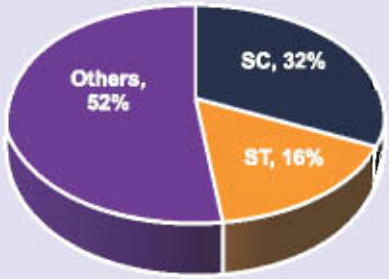

महिला समावेशन, वित्तीय वर्ष 2016–17

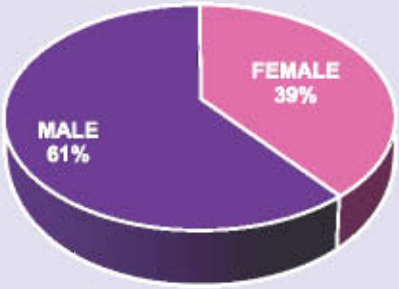

10 शीर्ष व्यापारों / रोजगारों की भूमिकाएं	
1	बिक्री करने वाले व्यक्ति (खुदरा)
2	एकाउंटिंग (टेली)
3	सिलाई मशीन प्रचालक
4	स्वागत सहायक
5	बीपीओ वॉइस
6	खाद्य एवं पेय सेवा/स्टूवार्ड
7	बीपीओ/नॉन वॉइस
8	डीटीपी एवं मुद्रण प्रकाशन सहायक
9	बिक्री सहयोगी
10	सुरक्षा गार्ड (सामान्य) एवं निजी सुरक्षा गार्ड

कवर किए गए सैक्टर	39
व्यापार ६ रोजगार संबंधी भूमिकाएं	329

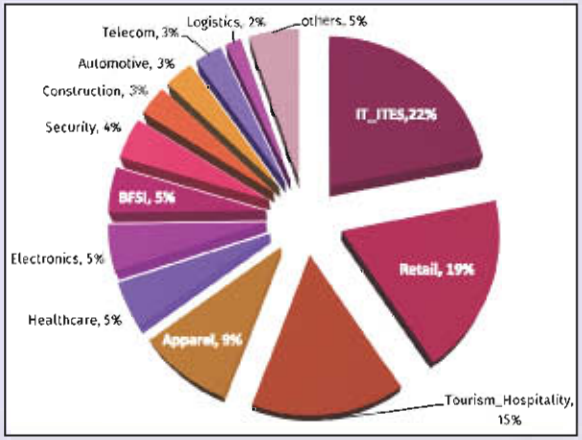

"डीडीयू–जीकेवाई ने मुझे एक सम्मानजनक कार्य दिलाया जिस पर मुझे गर्व है।"

रुकसाना

रुकसाना ओडिशा के कंधमाल जिले से हैं जिनके परिवार में तीन सदस्य हैं। सबसे बड़ी होने के कारण अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार चलाने की जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ गई। आज वे प्रोफेशनल केयर गिवर के रूप में हैदराबाद में लाइफ सर्कल हैल्थ सर्विसेज प्रा.लि. में कार्यरत हैं और 11000 रू. प्रतिमाह कमाती हैं।

सुश्री रुकसाना से 91–7093043562 पर संपर्क किया जा सकता है।

"मेरी जिन्दगी में आमूलचूल बदलाव हुआ है जो मेरी बेहतरी के लिए हुआ है।"

रमाकांत पासवान

श्री पासवान बिहार के जमुई जिले से हैं। उन्हें अध्ययन के लिए उनके माता–पिता से पूरा सहयोग मिला, लेकिन कोई उपयुक्त रोजगार पाने में असमर्थ रहे थे। आज वे बिक्री सहयोगी के रूप में लियान ग्लोबल में कार्यरत हैं और 12000 रू. प्रतिमाह कमाते हैं।

श्री रमाकांत से 91–8960914912 पर संपर्क किया जा सकता है।

"जिस दिन मैंने अपना पहला वेतन अपने माता–पिता को दिया, वह दिन मेरी जिंदगी को गौरवान्वित करने वाला था।"

सरजा मुथामाझी

श्री सरजा ओडिशा के कंधमाल जिले से हैं। अपने पिता के साथ खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करते थे। आज वे केंद्र सहयोगी के रूप में भुवनेश्वर के अमेजोन वेयरहाउस में कार्यरत हैं और 11439 रू. प्रतिमाह कमाते हैं।

श्री सरजा से 91–7790004408 पर संपर्क किया जा सकता है।

"डीडीयू–जीकेवाई के तीन महीने के प्रशिक्षण ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी और मुझे एक सफल व्यक्ति बना दिया।"

गौतम पासवान

गौतम पासवान झारखंड के देवघर जिले से स्नातक हैं जो कौशल की कमी के कारण लंबे समय तक बेरोजगार रहे। आज वे वरिष्ठ बिक्रीकर्ता के रूप में झारखंड के देवघर के ब्लू माउण्ट में कार्यरत हैं और 19000 रू. प्रतिमाह कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की कमाई से अपने गांव के घर की मरम्मत करवाई और अपने पिता को सम्मान दिलाया।

श्री गौतम से 91–8804026016 पर संपर्क किया जा सकता है।

"डीडीयू–जीकेवाई के रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम से मुझे अपने परिवार की वित्तीय देखरेख करने में सहायता मिली है।"

पठान अजहर

पठान अजहर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से हैं जिन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए अपने पिता के साथ खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य किया। वे अब पुणे के चिंचवाड में होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्रा.लि. में बिक्री सहयोगी के रूप में कार्यरत हैं और 15000 रू. प्रतिमाह कमा रहे हैं।

श्री पठान से 91–9890526611 पर संपर्क किया जा सकता है।

"अब मैं वित्तीय रूप से अपने पति की सहायता कर सकती हूँ और हम मिलकर अपने बच्चों के सपने साकार कर सकते हैं।"

गीथा पी.ए.

श्रीमती गीथा केरल के एर्णाकुलम जिले से हैं। इन्होंने 4 सदस्यों वाले अपने परिवार की सहायता करने और अपने ऑटो ड्राइवर पति की मामूली आय में पूरक वृद्धि करने के उद्देश्य से अशस्त्र सुरक्षा गार्ड पाठ्यक्रम में नामांकन कराया था। अब वे केरल के कोच्ची जिले के एडापल्ली में ट्रैफिक वार्डन के रूप में लूलू मॉल में कार्यरत हैं और 10000 रू. प्रतिमाह कमाती हैं।

श्रीमती गीथा से 91–9526991327 पर संपर्क किया जा सकता है।

"मेरे प्रशिक्षण ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया और समाज में मुझे एक पहचान दिलाई है।"

बिश्वा प्रतिम सेकिया

श्री बिश्वा प्रतिम सेकिया असम के लखीमपुर के चौखम मजगांव से हैं। वे अपने पिता के साथ मजदूरी कार्य करते थे। आज वे सामान्य ड्यूटी सहायक के रूप में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कॉल हेल्थ में कार्यरत हैं और 12000 रू. प्रतिमाह कमाते हैं।

श्री बिश्वा से 91–9957452513 पर संपर्क किया जा सकता है।

"प्रशिक्षण से पहले मैं लोगों से बात करने में हिचकता था। आज डीडीयू–जीकेवाई के प्रशिक्षण से मैं उपभोक्ताओं का पसंदीदा बिक्री सहयोगी बन गया हूँ।"

सिकू समाल

श्री सिकू समाल ओडिशा के कटक से हैं। ये अपने परिवार के इकलौते आय अर्जनकर्ता हैं। इन्होंने अपनी बहन की शादी में अपने माता–पिता की सहायता की है। उन्होंने डीडीयू–जीकेवाई का प्रशिक्षण लेने के लिए विद्युत संबंधी कार्य छोड़ दिया था।

आज वे बैंगलुरू में शॉपर्स स्टाप लिमिटेड में बिक्री सहयोगी के रूप में कार्यरत हैं और 27000 रू. प्रतिमाह (प्रोत्साहन राशि सहित) कमाते हैं।

श्री सिकू से 91–7899780782 पर संपर्क किया जा सकता है।

दगांव (छ.ग.)
रिक्षण शिविर

एनएसएपी

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) : घर के दरवाजे तक कल्याण सहायता पहुंचाना

इस योजना के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं

- भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह अपने साधनों के अनुसार अनेक कल्याणकारी उपाय शुरू करे।

- इन्हीं सिद्धांतों के अनुसरण में भारत सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) नामक प्रमुख कल्याणकारी पहल वर्ष 1995 में शुरू की, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, दिशा–निर्देशों और शर्तों के अनुसार लाभ प्रदान करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को शत–प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है।

- एनएसएपी वृद्धों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों के लिए और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु से शोक संतप्त परिवारों के लिए चलाया जा रहा सामाजिक सुरक्षा / सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है।

- एनएसएपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना नामक 5 उप–योजनाएं शामिल हैं।

- एनएसएपी की योजनाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं।

- **वृद्धावस्था पेंशन योजना–** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को

सहायता दी जाती है। 60–79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

- **विधवा पेंशन योजना** – इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की 40–79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

- **विकलांगता पेंशन योजना** – इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के 18–79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

- **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)** – इस योजना के तहत बीपीएल परिवार 18–59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर एकमुश्त सहायता प्राप्त करने का हकदार है। सहायता की राशि 20,000 रु. है।

- **अन्नपूर्णा योजना** – आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पात्र होने के बावजूद जिन वरिष्ठ नागरिकों को आईजीएनओएपीएस पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां

वितरण संबंधी कार्यकुशलता से लेकर अंतर्वेशन संबंधी गलतियों के कारण होने वाली लीकेज की रोकथाम तक, इस योजना में उल्लेखनीय प्रगति रही है। इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

- वर्ष 2014–15 के 7241 करोड़ रू वितरित सहायता राशि की तुलना में वर्ष 2016–17 में 8854 करोड़ की सहायता राशि वितरित की गई जो कि करीब 22% की वृद्धि दर्शाता हैं।

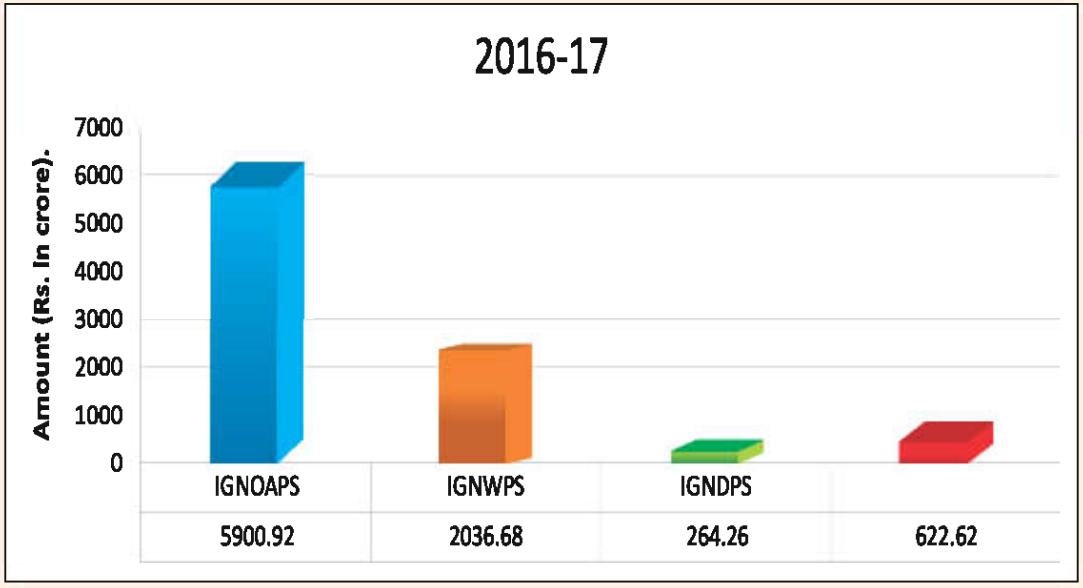

- **डिजिटलीकरण को बढ़ावा :** एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत लाभ के भुगतान में लीकेज की रोकथाम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे एनएसएपी के लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटलीकरण करें। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अभिलेखों का लगभग शत–प्रतिशत डिजिटलीकरण हो गया है। इस कार्य से हुई छंटाई के परिणामस्वरूप इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है।

- **आधार आधारित अधिप्रमाणन :** लाभ के लिए विधिवत पात्र व्यक्ति को ही लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाभार्थी के आधार आधारित सत्यापन/डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज किए जाने की अधिसूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फरवरी, 2017 में जारी की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह भी दी गई है कि वे लाभार्थियों की सहमति से उनके डाकघर/बैंक खातों में आधार आधारित भुगतान करें। अब तक 1.56 करोड़ लाभार्थियों ने अपने आधार नंबर की जानकारी दे दी है और 94 लाख से अधिक लाभार्थियों के आधार नंबरों का सत्यापन कर लिया गया है।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) :** गुजरात राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में शत–प्रतिशत डीबीटी शुरू हो गया है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रगति की निगरानी की जा रही है।

एसएजीवाई

बदलता भारत

गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा

सांसद आदर्श ग्राम योजना

एसएजीवाई के माध्यम से सर्वांगीण विकास

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

- देश के सभी भागों में आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास के उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री जी ने 11 अक्तूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) शुरू की थी। एसएजीवाई ग्राम पंचायतों का विकास किसी भी अतिरिक्त निधि का कोई आवंटन किए बिना माननीय संसद सदस्यों के मार्गदर्शन में मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बीच तालमेल के माध्यम से किया जाता है। माननीय संसद सदस्यों ने इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 703 ग्राम पंचायतों और द्वितीय चरण के अंतर्गत 23 मई, 2017 तक 314 ग्राम पंचायतों का चयन किया है।

- मंत्रालय ने व्यापक क्षमता विकास योजना (सामर्थ्य) के अंतर्गत एसएजीवाई के संबंधित क्षेत्रों में भागीदारीपूर्ण आयोजना के माध्यम से ग्राम विकास योजना की तैयारी के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पूरे भारत में 8 क्षेत्रीय केंद्रों में किया।

- मंत्रालय ने एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के लिए 653 समर्पित प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

- एसएजीवाई के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार कीं, जिनमें संसाधनों के तालमेल के माध्यम से गांव की सर्वांगीण प्रगति के लिए प्राथमिकता प्राप्त समयबद्ध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है।

- वीडीपी में सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से ट्रैकिंग टेम्प्लेट तैयार किया गया और प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जा रही हैं।

- एसएजीवाई के अंतर्गत 671 ग्राम पंचायतों की वीडीपी में 40,627 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। 17,267(42.7%) परियोजनाएं संपन्न हो गई हैं एवं 6380 (15.7%) परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

सामुदायिक सेवा केन्द्र

एनआरयूएम

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन

राष्ट्रीय रर्बन मिशन

300 रर्बन कलस्टरों का निर्माण करने और इन कलस्टरों में बुनियादी, सामाजिक, आर्थिक और डिजीटल सुविधाओं की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से फरवरी, 2016 में शुरू किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन या राष्ट्रीय रर्बन मिशन काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले एक वर्ष में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

13 अक्तूबर, 2015–विशेषज्ञों और राज्यों के साथ फ्रेमवर्क

योजना की तैयारी एवं निर्गत निधियाँ

- 28 राज्यों ने अपनी समेकित क्लस्टर कार्य योजनाएं पूरी कर प्रथम चरण में 98 क्लस्टरों के लिए निधियां प्राप्त कर ली हैं।
- द्वितीय चरण के अंतर्गत 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए गए 96 क्लस्टरों को विभाग ने अनुमोदित कर दिया है। यह उपलब्धि वर्ष 2016–17 के लक्ष्य से अधिक हैं।
- प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत अनुमोदित 189 क्लस्टरों में से 50 क्लस्टर जनजातीय क्लस्टर हैं और इनमें से सभी 17 जनजातीय क्लस्टरों की योजनाओं को प्रथम चरण के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया गया है।
- आरम्भ में 300 करोड़ रुपए की आवंटित निधि राज्यों को निर्गत की गई। इसे बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया हैं जो शत–प्रतिशत खर्च की जा चुकी हैं।

22 और 23 दिसंबर, 2016 द पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम

जमीनी स्तर पर कार्य

- प्रथम चरण के अंतर्गत अगले तीन वर्षों में 98 क्लस्टरों में इन योजनाओं के लिए कुल अनुमानित निवेश 10400 करोड़ रुपए है। अनुमोदित किए गए आवश्यक पूरक वित्तपोषण की धनराशि 3241 करोड़ रुपए है। शेष 7160.10 करोड़ रुपए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुटाए जाने का प्रस्ताव है।
- आवश्यक पूरक वित्तपोषण (केन्द्रीय और राज्य अंश के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे) के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य बुनियादी और आर्थिक कार्यकलापों के सेचुरेशन पर केन्द्रित हैं, इनमें पेयजल सुविधाएं, गांव की गलियां और नालियां, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण सेवाएं और रोजगार से सम्बद्ध कौशल विकास शामिल हैं।
- तालमेल के अंतर्गत कार्य और आवश्यक पूरक वित्तपोषण के अंतर्गत कार्यों के घटक प्रथम चरण के क्लस्टरों में जमीनी स्तर पर शुरू कर दिए गए हैं। 28 राज्यों के जिन 98 क्लस्टरों की समेकित क्लस्टर कार्य योजनाए अनुमोदित की गई हैं, उनमें 1500 करोड़ रुपए के निवेश किए जा रहे हैं। ये निवेश एलपीजी गैस कनेक्शन, स्वच्छता, डिजिटल सुविधाएं सभी परिवारों को उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं।

बदलता भारत

गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन

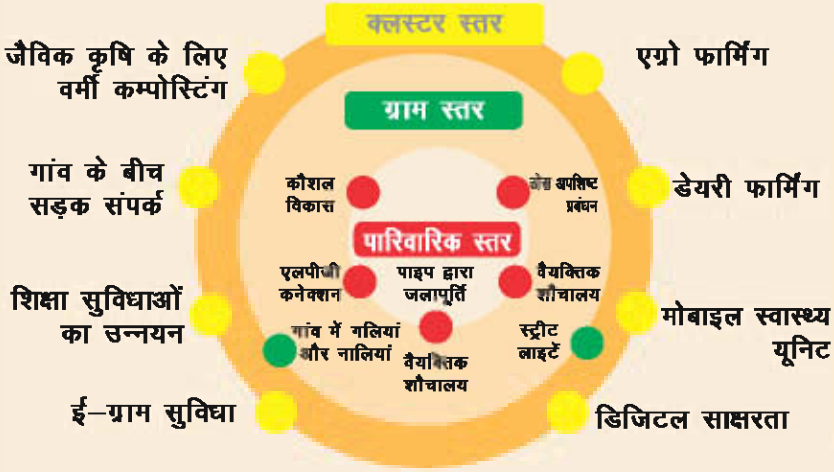

वर्ष 2019 तक शहरी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से ग्रामीण विकास केंद्रों के रूप में 300 ग्राम क्लस्टरों का विकास

विकास यात्रा के 3 वर्ष...

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

भारत सरकार

www.rural.nic.in